## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
## (पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

**प्रार्थी**

1. जयंतिलाल पुत्र भावाजी, जाति– प्रजापत, निवासी– जेतावाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
2. समस्थाराम पुत्र रणछोड़जी, जाति–प्रजापत, निवासी–जेतावाडा, तहसील–रेवदर,, जिला– सिरोही
3. अर्जुनसिंह पुत्र भबुतसिंहजी, जाति–राजपूत, निवासी– जेतावाडा, तहसील– रेवदर, जिला सिरोही

बनाम

**अप्रार्थी**

1. ग्राम पंचायत, जेतावाडा जरिए सरपंच, ग्राम पंचायत, जेतावाडा, जिला– सिरोही
2. गणेशाराम पुत्र जीवारामजी, जाति–लुहार, निवासी– जेतावाडा, तहसील– रेवदर, जिला सिरोही

**पंचायत निगरानी संख्या: 03/2020**

**"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"**

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्या– 2 की ओर से
3. अधिवक्त श्री भैरुपाल सिंह बालावत, अप्रार्थी संख्या– 1 (एक) की ओर से

**–: निर्णय :–** **दिनांक 30 नवम्बर, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा अप्रार्थी गणेशाराम पुत्र जीवाराम जी, जाति–लुहार, निवासी– जेतावाडा के पक्ष में क्षेत्रफल 6365–5 वर्गफीट आबादी भूमि का जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 08.1.2002 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, जेतावाडा से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड तलब किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या– 2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया एवं अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री भैरुपालसिंह बालावत उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी ग्राम पंचायत, जैतावाडा की ओर से जवाब प्रस्तुत किया।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 कुम्हार जाति के व्यक्ति [illegible] कब्जे का एक भूखण्ड गांव जेतावाडा में आया हुआ है, जिस पर [illegible] 1 व 2 के पूर्वज मटके बनाने का कार्य करते थे, उक्त भूमि [illegible] रही हैं, जो कुम्हार समाज के पुश्तैनी भूमि है। [illegible] (प्रजापत) समाज के लो[illegible]

.....पे[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:27:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर * सिरोही *

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कब्जा रहा है, अप्रार्थी संख्या—2 का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा या मकान नहीं रहा है, अप्रार्थी संख्या—2 ने उक्त भूमि को हड़प करने के आशय से ग्राम पंचायत, जेतावाडा के पूर्व सरपंच से मिलावट कर प्रशासन गाँवों के संग केम्प में उक्त पट्टा जारी करवाया गया, जो सर्वथ गलत व विधि विरूद्ध तरीके से जारी करवाया गया है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 के कुम्हार समाज की उक्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर अप्रार्थी संख्या—2 द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने पर मौके पर विवाद हुआ, तब कुम्हार समाज के व्यक्तियों द्वारा शिकायत करने पर मौके पर पंचायत समिति, रेवदर के विकास अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जेतावाडा आये एवं मौके की जांच की गई, तब प्रार्थी संख्या 1 व 2 को जानकारी हुई कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के कुम्हार समाज के पुराने कब्जे की भूमि का अप्रार्थी संख्या—2 द्वारा ग्राम पंचायत, जेतावाडा से दिनांक 08.1.2002 को पट्टा प्राप्त कर लिया है। यह कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर एवं पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा दिनांक 06.1.2020 को मौके पर आकर जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या—2 को जिस आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि कुम्हार समाज के पुराने कब्जे की भूमि थी जो कुम्हार समाज के पूर्वजों द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने व पकाने के काम में आती थी तथा अप्रार्थी गणेशराम ने कुम्हार समाज के पुराने कब्जे की भूमि का ग्राम पंचायत, जेतावाडा से मेल मिलाप कर पुराने गृह के विनियतिकरण की राशि रुपये मात्र 200/— अदा कर पट्टा प्राप्त कर लिया है, जबकि मौके पर अप्रार्थी गणेशराम का पट्टा जारी करने की तिथी को कोई कब्जा नही था एवं न ही मौके पर अप्रार्थी गणेशराम का पुराना मकान बना हुआ था। मौके पर भूखण्ड खुला एवं खाली होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा अप्रार्थी गणेशराम को पुराने मकानों का विनियमितिकरण के तहत राशि वसूल कर जो पट्टा जारी किया है वह विधि विरुद्ध है। यह कि ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा अप्रार्थी गणेशराम को जो पट्टा जारी किया गया है वह राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किये जाने वाले प्रपत्र में जारी किया गया है, जबकि दिनांक 01.1.1997 से नये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 लागू हो चुके थे ऐसी स्थिति में अप्रार्थी गणेशराम को पुराने अधिनियम के तहत पट्टा जारी नही किया जा सकता था। यह कि ग्राम पंचायत, जेतावाडा ने अप्रार्थी गणेशराम को पट्टा जारी करने से पूर्व कोई मिसल संधारित नही की है तथा न ही संबंधित आज्ञापक प्रावधानों की पालना की गई है। पट्टा जारी करने से पूर्व मौके का निरीक्षण नही किया गया है एवं न ही आपत्ति नोटिस जारी किया गया है। पट्टा जारी करने की पूरी कार्यवाही गुपचुप तरीके से की गई है। यह कि ग्राम पंचायत, जेतावाडा को प्रार्थी संख्या 1 व 2 के कुम्हार समाज की पुराने कब्जे की भूमि का पट्टा जारी करने का कोई हक अधिकार पैदा नही है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2010(3)DNJ (Rajasthan) Page 1148, 2009 WLC (Raj.) [illegible] WLC(Raj.)Page 663, 2010(4)WLC(Raj.)Page 304 में अंकित तथ्यों [illegible] ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि 21 वर्ष बाद [illegible] तो निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है। पट्टा नियमों का [illegible] कर जारी किया गया है तो

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:27:06 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

खारिज किया जा सकता है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157ख के तहत तभी जारी किया जा सकता है जब कि वहां कोई निर्मित भवन विद्यमान हो। इस प्रकरण में भी कुम्हार समाज के पुराने कब्जे की भूमि जो मौके पर खाली थीं का ग्राम पंचायत, जेतावाडा ने विधि विरुद्ध तरीके से अप्रार्थी गणेशराम के पक्ष में पट्टा जारी किया है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी गणेशराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 08.01.2002 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 (गणेशराम) के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी गणेशराम की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड प्रार्थी संख्या 1 व 2 के कुम्हार समाज के पुश्तैनी कब्जे का होने व मिट्टी के बर्तन बनाने के काम आने का निगरानी में मिथ्या कथन अंकित कर अप्रार्थी गणेशराम को नुकसान कारित करने की नियत से प्रार्थीगण ने यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है जो परिपोषणीय नही है। प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन में भूमि का नाप व भूमि की चतुर्दशी उल्लेखित नहीं की है। यदि वास्तव में उक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी व कब्जे की होती तो प्रार्थीगण को यह अवश्य जानकारी होती कि इस भूमि की चतुदर्शी क्या है व इस भूमि का किस दिशा में कितना नाप है तथा कुल कितनी भूमि है, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई नाम उल्लेखित नहीं किया है। ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या दो को जारी किया गया है उस भूमि के चारों तरफ पट्टा जारी करते समय परकोटा निकाला हुआ था तथा इस भूमि में अप्रार्थी संख्या–2 का पुराना आवासीय मकान बना हुआ था और उसके अलावा इसमें अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अपनी कुलदेवी का निजी मन्दिर भी बनाया हुआ था एवं अप्रार्थी संख्या–2 के इस पुराने कब्जे व उपयोग, उपभोग को देखते हुए ही ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन में यह भी मिथ्या कथन अंकित किया है कि इस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करवाने पर प्रार्थीगण को प्रश्नगत पट्टा जारी होने की जानकारी हुई जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि अप्रार्थी संख्या–2 के पुत्र की शादी होने के बाद अप्रार्थी को और कमरे की आवश्यकता होने पर उसने पुराने निर्माण के अलावा नया निर्माण करने हेतु दिनांक 05.11.2019 को ग्राम पंचायत जैतावाडा के पत्र क्रमांक 2019/504 के जरिये निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य शुरू किया। इस निर्माण स्वीकृति के पश्चात् आचार संहिता लगने पर चुनावी रंजिश के कारण प्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी संख्या–3 के साथ षडयंत्र कर अप्रार्थी संख्या–2 को हैरान परेशान करने के लिये श्री हीरालाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर के साथ मेल मिलाप कर एक झूठी मौका फर्द बनाई, जबकि पंचायत प्रसार अधिकारी को जब तक विकास अधिकारी द्वारा जांच सुपुर्द नहीं की जाती, तब तक मौके पर जाकर मौका निरीक्षण करने व मौका रिपोर्ट बनाने का कोई अधिकार पंचायत प्रसार अधिकारी को नही है। प्रार्थी संख्या–3 आदतन लोगो पर झूठे केस करने व झूठी गवाही देने के लिये माहिर है एवं इसी प्रार्थी संख्या–3 ने प्रार्थी संख्या 1 व 2 की आड में अप्रार्थी संख्या–2 से अवैध [illegible] झूठे आधारों पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करवाया है जो खारिज किये [illegible] योग्य है। यह कि अप्रार्थी गणेशराम द्वारा अपने पुराने कब्जे व मकान [illegible] हेतु आवेदन करने पर

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:27:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

ग्राम पंचायत, जेतावाडा ने विधिवत कार्यवाही करते हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान में अन्य व्यक्तियों के साथ–साथ अप्रार्थी संख्या–2 को भी नियमानुसार पट्टा जारी किया है। यह कि राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी करने हेतु शुल्क राशि 200/– ही संबंधित नियमों में निर्धारित की हुई है एवं उक्त नियम 157(ख) के तहत पट्टा जारी करने हेतु तत्समय अधिकतम सीमा का निर्धारण नही किया हुआ था। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) में अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है। मौके पर तत्समय अप्रार्थी गणेशराम का पुराना मकान बना हुआ था एवं भूखण्ड के चारों तरफ परकोटा बना हुआ था। पूरे भूखण्ड का क्षेत्र संनिर्मित था, जिसके संबंध में ग्राम पंचायत, जेतावाडा ने नियमानुसार पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी गणेशराम द्वारा वर्ष 2002 में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से विद्युत कनेक्शन व वर्ष 2007 से पानी का कनेक्शन लिया हुआ है, जिसका उपयोग व उपभोग भी अप्रार्थी संख्यां 2 के द्वारा ही किया जा रहा है, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही है। अप्रार्थीगण गणेशराम अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य है एवं उसके पास प्रश्नगत पट्टेशुदा भूखण्ड़ पर बने हुए पुराने आवासीय मकान के अलावा अन्य कोई आवासीय भूखण्ड़ या मकान नही है। यह कि अप्रार्थी संख्या–2 को जिस भूमि का पट्टा दिया गया है उस भूमि पर अप्रार्थी संख्या–2 के अलावा कभी भी किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा नहीं रहा है एवं मौके पर अप्रार्थी गणेशराम का पुराना आवासीय मकान बना हुआ था। यदि वास्तव में इस भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होता तो प्रार्थीगण पट्टा जारी करने के बीस साल तक इन्तजार नहीं करते एवं जिस समय अप्रार्थी संख्या–2 को पट्टा जारी किया गया था उस जगह पर उस समय भी अप्रार्थी संख्या–2 का कब्जा व मकान व परकोटा बना हुआ था इसलिये ग्राम पंचायत ने नियमानुसार जांच कर पट्टा जारी किया हुआ है। गांव जेतावाडा में कुम्हारवास अप्रार्थी संख्या–2 के पट्टेशुदा आवासीय मकान की भूमि से काफी दूर है, इसलिये इस भूमि पर पुराने समय से मिट्टी के बर्तनों का कार्य किये जाने का कथन मनगढ़ंत है अन्यथा भी प्रार्थीगण द्वारा इस पद में यह तथ्य उल्लेखित किया है कि उक्त भूमि कुम्भकार समाज के कब्जे व मालकी की थी तो इस भूमि पर प्रार्थीगण का हक अधिकार व कब्जा किस प्रकार स्थापित हुआ यह तथ्य प्रार्थीगण द्वारा निगरानी आवेदन में कही पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत पुराने मकान का विनियमितिकरण करने का पंचायत बैठक में संकल्प पारित कर उस सकंल्प के अनुसरण में प्रशासन गांव के संग अभियान के कैम्प में पट्टा जारी किया गया है एवं अप्रार्थी गणेशराम के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी प्रशासन गांव के संग कैम्प में पट्टे जारी किये गये थे और उन सभी पट्टों का फॉर्मेट वही था जो अप्रार्थी संख्या–2 के पट्टे का था एवं यह भी सम्भावना है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में पंचायत के कर्मचारी, सरपंच व सचिव पर कार्य का अतिरिक्त बोझ रहता है, इस [illegible] फॉर्मेट में ही उक्त पट्टा जारी कर दिया लेकिन इस तकनीकी गलती के आधार [illegible] अप्रार्थी संख्या–2 का पुराना कब्जा, हक अधिकार व स्वामित्व समाप्त नही हो जाता है एवं यह एक लिपिकिय व

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:27:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तकनीकी गलती किसी भी समय सुधार की जा सकती है अन्यथा भी ग्राम पंचायत द्वारा तकनीकी गलती करने के कारण अप्रार्थी संख्या–2 के मकान की भूमि पर प्रार्थीगण को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। यदि ग्राम पंचायत; जेतावाडा में प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मिसल उपलब्ध नही है तो इससे इस तथ्य की पुष्टि नही होती है कि तत्समय ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संधारित नही की हो। चूंकि पट्टे में *मिसल संख्या व दिनांक अंकित है तो यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पूरी कार्यवाही विधि अनुरुप कर मिसल का भी संधारण किया है।* वैसे भी प्रशासन गांवों के संग अभियान में पुराने घरो का विनियमितीकरण करते समय इन सभी औपचारिकताओं को किया जाना आवश्यक नहीं है। अप्रार्थी संख्या दो को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उस भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वजों के कंब्जे व मालकी की भूमि नहीं रही है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा निगरानी के पद संख्या–1 में अप्रार्थी संख्या–2 के पट्टे शुदा भूमि को प्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि बताया है जबकि इसी निगरानी आवेदन के पद संख्या 4 व 7 में इस भूमि पर कुम्भकार समाज का कब्जा व मालकी होना बताया है, प्रार्थीगण स्वयं द्वारा अपने निगरानी आवेदन में विरोधाभासी कथन किये गये है। प्रार्थी संख्या–3 कुम्हार समाज का व्यक्ति नही होकर राजपूत जाति का व्यक्ति है जिसने अप्राथी गणेशराम से अवैध लाभ प्राप्त करने हेतु गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करवाया है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत जैतावाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या– 2 के पुराने कब्जेशुदा मकान के आधार पर अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में पट्टा संख्या 41 दिनांक 08.1.2002 को जारी किया है। उक्त पट्टा जारी करने के लिए पंचायत के पूर्व अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है और नियमानुसार पट्टा जारी किया है तथा पट्टा जारी करने से पूर्व संपूर्ण प्रक्रिया का नियमानुसार पालन किया गया है। यह सही है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 41 दिनांक 08.1.2002 को क्षेत्रफल 6365.5 वर्ग फीट भूमि का जारी किया है तथा जिस समय ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या– 2 को पट्टा जारी किया गया, उस समय ग्राम पंचायत उतनी भूमि का पट्टा जारी करने के लिए सक्षम थी। ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार से अप्रार्थी संख्या– 2 को अनुचित लाभ नहीं पहुंचाया गया है तथा जिस जगह का पट्टा अप्रार्थी संख्या– 2 के पक्ष में जारी किया है उस जगह पर पुराने कब्जे के आधार पर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है एवं उस जगह पर कभी भी प्रार्थीगण व कुम्भकार समाज का कब्जा नहीं रहा है। *अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त पट्टा प्रशासन गांवों के संग अभियान में दिया गया है तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान में* पंचायत के कर्मचारियों, सरपंच व सचिव पर कार्य का अत्यधिक बोझ होता है इसलिए उस समय पुराने प्रपत्र में अप्रार्थी संख्या–2 को पट्टा जारी किया गया है, लेकिन पंचायत बैठक में पारित संकल्प में उक्त पट्टा राजस्थान पंचाययती राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत ही जारी करने का निर्णय लिया है, अन्यथा भी यदि न्यायालय [illegible] तो वर्तमान प्रपत्र में पट्टा जारी करने के लिए ग्राम पंचायत तैयार है अप्रार्थी संख्या– 2 को पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार संपूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है एवं उक्त पट्टा जारी

....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:27:06 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

करने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा उसका पंजीयन भी करवाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या– 2 को जारी किया गया है उस जगह पर कभी भी प्रार्थीगण व उसके पूर्वजों का कब्जा नहीं रहा है तथा यदि उक्त भूमि पर कभी भी कुंभकार समाज का कब्जा होता तो ग्राम पंचायत जैतावाडा के क्षेत्राधिकार में कुम्हार समाज के 30 घर है उनके द्वारा कभी न कभी आपत्ति जरूर की जाती, लेकिन आज दिन तक कुम्हार समाज द्वारा ऐसी आपत्ती नहीं की गई है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा ग्राम पंचायत, जेतावाडा से प्राप्त संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 20.12.2001 के संकल्प संख्या 5 के द्वारा इस आशय का निर्णय पारित किया है कि अप्रार्थी गणेशराम एवं अन्य 4 व्यक्तियों के पुश्तैनी भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिनकी पत्रावली खोली जाकर आगे की कार्यवाही जारी रखी जाये। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत, जैतावाडा की बैठक दिनांक 05.1.2002 में संकल्प संख्या 8 के द्वारा पुरानी आबादी भूमि के पट्टो को प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर में बनाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत, *जेतावाडा द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर दिनांक 08.1.2002 में अप्रार्थी गणेशराम पुत्र जीवाराम जी, जाति– लुहार, निवासी– जैतावाडा के पक्ष में क्षेत्रफल 6365.5 वर्गफीट आबादी भूमि का पट्टा संख्या 41 दिनांक 08.1.2002 को जारी किया* गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा अप्रार्थी गणेशराम को कब्जेशुदा मकान का पट्टा राशि रुपये 200/– (अक्षरे रुपये दो सौ मात्र) में जारी किया गया है। तत्समय प्रभावी राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत पुराने आवासीय गृहों के पट्टे जारी करने हेतु राशि रुपये 200/– (अक्षरे रुपये दो सौ मात्र) निर्धारित की हुई थी *एवं तत्समय प्रभावी राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पुराने गृहों के जारी किये जाने वाले पट्टों हेतु अधिकतम क्षेत्रफल की सीमा भी* निर्धारित नही थी।

प्रार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि "ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 को जिस आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि कुम्हार समाज के पुराने कब्जे की भूमि थी जो कुम्हार समाज के पूर्वजों द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने व पकाने के काम में आती थी।" लेकिन प्रार्थीगण ने अपने उक्त कथन के संबंध में ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि पर कुम्हार समाज का पुराना कब्जा रहा हो। प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि "मौके पर अप्रार्थी गणेशराम का पट्टा जारी करने की तिथी को कोई कब्जा नही था एवं न ही मौके पर अप्रार्थी गणेशराम का पुराना मकान बना हुआ था।" लेकिन प्रार्थीगण ने अपने इस कथन के समर्थन में भी ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, जेतावाडा द्वारा अप्रार्थी गणेशराम के पक्ष में पट्टा जारी करने की दिनांक 08.1.2002 को मौके पर अप्रार्थी गणेशराम का पुराना गृह बना हुआ नही हो। जबकि अप्रार्थी गणेशराम की ओर से प्रस्तुत किये गये फोटोग्राफस एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौके पर अप्रार्थी संख्या– 2 (गणेशराम) का आवासीय मकान बना हुआ है एवं इसमें अप्रार्थी गणेशराम द्वारा वर्ष 2002 [illegible] में पेयजल का कनेक्शन लिया हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि य[illegible]णेशराम को ग्राम पंचायत द्वारा पुराने प्रपत्र में पट्टा जारी[illegible]मि एवं उस पर

....पेज सात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:27:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अप्रार्थी गणेशराम के बने हुए आवासीय मकान के कब्जे, मालकी व स्वामित्व पर प्रार्थीगण या कुम्हार समाज को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी गणेशराम को पट्टा दिनांक 08.1.2002 को जारी किया गया एवं उस पट्टेशुदा भूमि में अप्रार्थी गणेशराम द्वारा विद्युत कनेक्शन व पेयजल का कनेक्शन लेने के इतने वर्षो बाद तक प्रार्थीगण या कुम्हार समाज द्वारा प्रश्नगत पट्टे के संबंध में कभी कोई आपत्ति क्यों नही की गई? इस संबंध में प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन में कोई उल्लेख नही किया है।

चूंकि अप्रार्थी गणेशराम की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफस व दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट रुप से प्रमाणित है कि मौके पर अप्रार्थी संख्या– 2 (गणेशराम) का आवासीय मकान बना हुआ है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण के निगरानी आवेदन को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजस्थान * सिरोही *

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:27:06 IST
Reason: SelfAttested